नेशनल/विशेष ई–लोक अदालत खण्डपीठ कमांक–23, रायपुर (छ.ग.)
(नेशनल/विशेष ई–लोक अदालत की तिथि 10/07/2021)

1. **संबंधित न्या0 का नाम – मंजूषा टोप्पो, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायपुर (छ0ग0)**
2. **सी0एफ0कमांक – 5701/2018**
3. **पक्षकारों के नाम – एच.डी.एफ.सी.बैंक लि.**
शाखा कार्या. आर्बिट काम्पलेक्स
द्वितीय तल महादेवघाट रोड सुंदर नगर रायपुर
द्वारा प्राधिकृत अधिकारी नरेन्द्र सिंह चौहान

विरूद्ध

सुनील जाट, उम्र–.... वर्ष
पिता श्री भाउलाल जाट
निवासी–ग्राम जियागांव, पो. जियागांव
तहसील– खाटेगांव जिला –देवास म.प्र.

अधिनिर्णय/आदेश

(आज दिनांक 10/07/2021 को पारित)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण :– प्रकरण में परिवादी द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध परिवाद पत्र अंतर्गत **धारा–138 परकाम्य लिखत अधिनियम** 1881 के तहत् **एच.डी.एफ.सी. बैंक देवास** का **चेक कमांक–000003 दिनांकित 31.08.2018 राशि– 3,75,000/– (अक्षरी–तीन लाख पचहत्तर हजार रूपये)** के चेक अनादरण के संबंध में परिवाद पेश किया गया है।

परिवादी एवं उसके अधिवक्ता द्वारा प्रकरण नेशनल/विशेष ई–लोक अदालत में राजीनामा किये जाने हेतु धारा–257 द.प्र.स. का स्व हस्ताक्षरित आवेदन पत्र प्राप्त। जिसमें लेख है कि उक्त प्रकरण में परिवादी का अभियुक्त से पूर्ण संतुष्टि में राजीनामा कर लिया गया है। अतः माननीय न्यायालय से न्यायहित में प्रार्थना है कि परिवादी के परिवाद प्रकरण को बल नहीं दिये जाने के आधार पर निरस्त करने की कृपा करें।

परिवादी एवं अभियुक्त/अभियुक्तगण के मध्य आज **नेशनल/विशेष ई–लोक अदालत में** न्यायालय उपस्थित होकर/विडियों कांफ्रेंस/इलेक्ट्रानिक माध्यम से परिवादी द्वारा प्रकरण में आपसी राजीनामा होने से परिवाद आगे नहीं चलाना व्यक्त किया गया।

प्रकरण का अवलोकन किया गया।

अधिनिर्णय/आदेश :– परिवादी एवं अभियुक्त/अभियुक्तगण द्वारा प्रकरण में **नेशनल/विशेष ई–लोक अदालत** में राजीनामा करना व्यक्त कर संयुक्त हस्ताक्षरित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

परिवादी एवं अभियुक्त/अभियुक्तगण के मध्य आज **नेशनल/विशेष ई–लोक अदालत** में स्वयं/विडियो कांफ्रेंस/इलेक्ट्रानिक माध्यम से परिवादी द्वारा प्रकरण में आपसी राजीनामा होने से परिवाद आगे नहीं चलाना व्यक्त किया गया। चुंकि परिवादी का अभियुक्त/अभियुक्तगण के साथ स्वेच्छयापूर्वक राजीनामा हो गया है, दोनों के मध्य विवाद समाप्त हो गया है। इसलिए परिवादी प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहता। अतः राजीनामा की अनुमति प्रदान की जाती है। अभियुक्त/अभियुक्तगण को परिवाद पत्र अंतर्गत धारा–138 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के आरोप से **उन्मोचित/दोषमुक्त** किया जाता है तथा परिवादी का परिवाद समाप्त किया जाता है।

उभयपक्ष/उनके अधिवक्ता के वांछन किये जाने पर अवार्ड की स्केन कॉपी उभयपक्ष के अधिवक्ता/पक्षकार के ई–मेल आई. डी/इलेक्ट्रानिक माध्यम से भेजा जावे। अवार्ड की मूल कापी को उभय पक्षकार पश्चातवर्ती अनुक्रम में संबंधित न्यायालय/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर के कार्यालय से निःशुल्क एक–एक प्रति प्राप्त कर सकते हैं।

प्रकरण समाप्त हुआ परिणाम दर्ज कर जमा अभिलेखागार हो।

अधिनिर्णय/आदेश की प्रतिलिपि प्राप्त किया।	**हस्ताक्षर पीठासीन अधिकारी**	**हस्ताक्षर सदस्य**	**हस्ताक्षर सदस्य**